

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

<p>प्रार्थी राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर</p>	<p>कार्डिनल &amp; विरदाण्ड वृक्ष (राज्यीय न्यायालय)</p>	
<p>किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957</p>		
<p>प्रार्थना-पत्र नम्बर 290/2021 GCMS No. 2021/383</p>		
<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>16.08.2021</p> <p><u>27/8/2021</u></p> <p><u>10/9/2021</u></p>	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनांक 27.08.2021 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> <p>पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड- अधिकारी राजस्थान अदालत में बाहर पठा है। अतः पत्रावली दिनांक 10/9/2021 को पेश की</p> <p>पत्रावली पेश हुई प्रकरण का अवलोकन किया गया जमावें की अनुवाद संबंधित खातेदारों की सहमती नहीं होने के कारण पत्र काविल खारिज है अतः प्रार्थना पत्र खारिज के अभाव में खारिज किया गया है पत्रावली केवल शुभारंभ लेकर करके ले कर लेकर दाखिल कराया है</p> <p><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	<p>QR Code</p>